21,538

संख्याः /सात लाई०एस०-४२/ व्यव०/2023-24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

25

देहरादून, ्दिनांकः मार्च, ,2023

विषय:— वर्ष 2023—24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) की अवधि हेतु सी०एल०— 5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०—5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः दिनांकः 22, मार्च, 2023 के अनुसार राज्य में मदिरा की फुटकर दुकानों (सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023–31.03.2024 तक) हेतु नवीनीकरण एवं लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जाते है:–

- 1. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः दिनांकः 22, मार्च, 2023 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है में दी गयी व्यवस्था के आधार पर मदिरा की फुटकर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा अनमोदित निर्धारित राजस्व के आधार पर लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम गारण्टीड अभिकर की राशि का निर्धारण विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाये। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के अनुज्ञापन शुल्क, न्यूनतम गारण्टीड अभिकर का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम—3.1 के अनुसार देशी / विदेशी मदिरा का नवीनीकरण निर्धारित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा।
- 3. नवीनीकरण के पश्चात् निर्धारित कार्यक्रमानुसार दुकानों का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- 4. लॉटरी किये जाने हेतु मदिरा दुकानों का राजस्व कुल राजस्व हेतु निर्धारित राजस्व में से नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व को घटाकर अवशेष राजस्व में दुकान की क्षमता के आधार पर बांटकर निर्धारित किया जायेगा।
- 5. उपरोक्तानुसार जनपद की सीoएलo—5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफoएलo—5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर (जो भी लागू हो) की सूची शासन की वेबसाईट—www.uk.gov.in एवं www.uttrakhandexcise.org.in जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एव उप—तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर

सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी। उक्त मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना भी सुनिश्चित करेंगे।

- 6. मिदरा दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमित दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों की कम्प्यूटर में भी प्रविष्टि की जायेगी।
- 7. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूचना तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- 8. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली के नियम–9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:–

### District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District

Chairman

- 2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Member Commissioner
- 3. The District Excise Officer of the District

Member/Secretary

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को ई—मेल आई०डी० utk.hqexcise.lic@gmail.com प्रेषित करेंगे, तािक नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य की नियुक्ति की जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

- 9. व्यवस्थापन के समय जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे व व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के अन्य सभी सदस्य भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
- 10. सिमति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
- 11. व्यवस्थापन के समय प्रेस के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।



- 12. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।
- 13. लाटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बडे हाल की व्यवस्था की जाय। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां,सम्बन्धित दुकान को आवंटित कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ ऊचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। सम्पूर्ण लाटरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करायी जाये एवं लाटरी स्थल पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें लाटरी की प्रक्रिया को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कीन पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम—3.4 के अनुसार एक आवेदक / सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मिदरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकती है। अतः लॉटरी हेतु पात्र आवेदकों का इस आधार पर निर्धारण लाटरी से पूर्व कर लिया जाय अर्थात् किसी आवेदक / सह आवेदक को वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु नवीनीकृत / आवंटित दुकानों को जोड़ते हुए अधिकतम मात्र दो ही मिदरा की दुकानें आवंटित हो सकती है। दो मिदरा दुकान आवंटन के उपरान्त अगले चरण में आवेदक / सह आवेदक का नाम सिमिलित नहीं होगा।
- 15. लॉटरी द्वारा किसी मिदरा दुकान का आवंटन होते ही पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रविष्टी विभागीय वैब साईट www.uttrakhandexcise.org.in पर की जाये, जिससे किसी भी आवेदक/सह आवेदक को अधिकतम दो मिदरा की दुकानें ही आवंटित हो सकें।
- 16. जिन देशी / विदेशी मदिरा / बियर की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, उनका आवंटन लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम (Descending Order) में यह प्रक्रिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही कम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी। विदेशी मदिरा, देशी मदिरा दुकानों की लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद बियर की दुकानों का आवंटन लाटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।
- 17. लाटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 6 से0 मी0 × 6 से0 मी0 की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्पयूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगा:—

मदिरा	दुकान	का	नाम
मादरा	दुकान	का	प्रकार
4			

आवेदन पत्र की	पंजीयन संख्य	या
ना रचन प्रा मा	म	11
जि0आ0अधि0	ना० अधि०	जिलाधिकारी

18. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं, किन्तु अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।

- 19. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग—अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली—भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लाटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लाटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- 20. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देय राजस्व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समयान्तर्गत् जमा करना होगा। प्राप्त राजस्व (बैंक ड्राफ्ट/नकद के रूप में) को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- 21. यदि चयनित आवदेक नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं करता / निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी, आवंटित अनुज्ञापी के जोखिम पर निरस्त कर दुकान के पूर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार करेंगे।
- 22. दुकान व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांकः 01.04.2023 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, यदि सूचनाएँ मौके पर ध्विन विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।
- 23. आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका

प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

- 24. अपने जनपद के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।
- 25. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में विवर्जित (Black List) किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 26. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार मदिरा दुकानों के सफल आवंटी को दुकान आवंटन होने के निर्धारित अवधि के भीतर समस्त औपचारिकताएँ आवश्यक रूप से प्रस्तुत/पूर्ण करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित आवंटी के जोखिम पर दुकान निरस्त कर दी जायेगी।
- 27. आवेदन पत्र के साथ संलग्न धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जनपद में लाटरी समाप्त होने के उपरान्त असफल आवेदकों को वापस किये जाने हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी:—

आवेदन कर्ता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकतें है।

#### अथवा

आवेदक के किन्हीं कारणों से उपस्थित न होने की दशा में उनके द्वारा विधिवत् निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर नामित व्यक्ति धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकार पत्र पर आवेदक एवं उसके प्रतिनिधि का पासपोर्ट साईज में रंगीन फोटो चस्पा करके उसके द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

28. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। सम्पर्क अधिकारी कुमायूँ मण्डल हेतु श्री ए०आर० सेमवाल, अपर आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 7579098405 एवं गढ़वाल मण्डल हेतु श्री पी०एस० गर्व्याल, अपर आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 7579098403 तथा श्री बी०एस० चौहान, संयुक्त आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 9760150000 रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि शासन की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 (दिनांक 01. 04.2023 से 31.03.2024 तक) को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी०एल0—5सी (देशी शराब व बीयर) तथा एफ0एल0—5 डी (विदेशी मदिरा व बियर) की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल) आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड। 21,539-42

संख्याः /सात लाई०एस०–42/ व्यव०/2023–24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

3. अपर आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट www.uttarakhandexcise.org.in पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हरिचन्द्रं सेमवाल) | आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड।

मादरा दुकान हतु	तु आवदन पत्र का प्रारूप
दुकान का प्रकार	दुकान का नाम
•	
विन्तीय वर्ष २०२३–२४ (दिन	नांक 01.04.2023 से 31.03.2024) तक
	र और उसके बाहर उपमोग के लिये) फुटकर बिक्री के एवं बीयर बिक्री की फुटकर बिक्री (मू—गृहादि पर और
iv. (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2 अभिकर की राशि रूपये (अंको (शब्दों में) v. (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.20	024 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये (अंको में) 2024 तक) के लिये मदिरा का निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड में) 2024 तक) के लिये कु राजस्त (iii+iv) (अंको में)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(916G) H)
vii. प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको म	मे)(शब्दा म)
2. आवेदक का नाम	
3. पिता / पति का नाम	· ·
4. आयु	प्रमाणित फोटोग्राफ
<ol> <li>जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष</li></ol>	//
6. लिंग—पुरूष / महिला	
7. पैन नम्बर	
8. आधार कार्ड नम्बर	
9. आई०टी०आर० का विवरण	
<ol> <li>अाइउटाउउत्तरः</li> <li>स्थाई पता</li> </ol>	
मकान नम्बर नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक	
भारा / पटवारी पटटी	
तहसील/उप तहसील	
जिलाउ	उत्तराखण्ड।
ट्रग्माष (लैण्ड लाइन नम्बर)	
मोबाईल नम्बर	
1 Pal	

11. जमा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट की विवरण (उत्तरिखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को—ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 22.03.2023 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):— (1) जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरण:— (3) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक
आवेदक की घोषणा
मैं आवेदक
स्थान
विनांकआवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि) आवेदक की प्रास्थिति

(ख) सह आवेदक होने की दशा में निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं	भरे जायेंगे:			
1. सह आवेदक का नाम				
2. पिता / पति का नाम				
3. आयु	सह आवेदक का नवीनतम्			
<ol> <li>जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष///</li></ol>	प्रमाणित फोटोग्राफ			
5. लिंग—पुरूष / महिला				
6. स्थाई पता				
मकान नम्बर नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक थाना/पटवारी पट्टी तहसील/उप तहसील जिलाउत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर) मोबाईल नम्बर				
7. पैन नम्बर				
<ol> <li>आधार कार्ड नम्बर</li> </ol>				
9. आई०टी०आर० का विवरण				
आवेदक की घोषणा				
में	त्त असत्य या गलत पाया जाता ाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की या गलत विवरण देना दण्डनीय हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति कि प्रमाण पत्र जिला आबकारी ना / दंगी। यदि वांछित धनराशि			
स्थान दिनांकआवेदक के हस्त	ाक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि) आवेदक की प्रास्थिति			
नोट:-  1. अहस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य न  2. जो लागू न हो उसे काट दें।	हीं होगा।			

### (प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमति / कुमारी	पुत्र / पत्नी / पुत्री
निवासीदेशी	मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन
(सी०एल०–5ग) / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड अ	आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 में
निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया। जिसे	रजिस्टर के क्रमांक पर दज
किया गया।	
दिनांक	
	कार्यालय की सील
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा	
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय	

### प्रारूप-2

वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024) तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब—5ग) / विदेशी मदिरा व बियर (विदेशी मदिरा—5घ) के फुटकर बिकी के अनुज्ञापन के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप

मैं	पुत्र / पुत्री / पत्नी	
	वर्षवर्ष	
		आवेदक का नोटरी से
पता व	र्तमान निवास	प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ
मकान	नम्बरनगर/मोहल्ला/ग्राम/तोक	प्रस्तुत करना होगा
	थाना / पटवारी पट्टी	
तहसीत	न / उपतहसीलजिलाजिला	
पता स	थाई निवास	
थाना /	नम्बरनगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक 'पटवारी पट्टीतहसील/उपतहसीलतहसील शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :	जिला
	यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण ने सी०एल०–5सी (देशी शराब) व मदिरा) की फुटकर बिकी की दुकानथानाथानाथाना के अनुज्ञान वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.0 पत्र दिया है।	हसीलजलाजाजला 03.2024 तक) हेतु आवेदन
	यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धं लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह वि और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर दिये जाने वाले करेगा / करेगी।	नयमा, अनुज्ञापन का शता अन्य निर्देशों का पालन
3.	यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड	का स्थाई निवासी है / हैं।
4.	यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है,	∕ हैं ।
	यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण न तो सरकारी अथवा लोक देयों का नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी	वितासिक में विवासीस्त
	विवर्जित किया गया है।	
	यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण व उसके परिवार के सदस्यों का नै उस/उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा तत्सर अथवा संवेग और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।	उपान्तारत एव अनुकूलित)

- 7. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण के पास समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है / किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
- 8. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण मिदरा दुकान आवंटन होने की दशा में अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतियों की धनराशि नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करेगा / करेंगे।
- 9. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण को यदि देशी / विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता / शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर चिरत्र प्रमाण पत्र तथा दिनांक 15.04. 2023 तक भीतर वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर देगा / देंगें।
- 10. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण को यदि देशी / विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता / शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेगा / लेंगे।
- 11. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण द्वारा किसी ऐसे विकेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संकामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को सेवायोजित नहीं करेगा / करेंगे।
- 12. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा / करेंगे।
- 13. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अविध के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा / करेंगे ।
- 14. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में बार कोड रीडर मशीन एवं स्वैप मशीन लगायेगा / लगायेंगे।
- 15. यह कि शपथकर्ता / शपथकर्तागण क<mark>ो आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या......</mark> एवं पैन संख्या....... आंवटित <mark>की गयी</mark> है / किया गया है।
- 16. यह कि शपथकर्ता आयकर दाता है <mark>तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयकर विवरण की</mark> प्रति संलग्न की है।

यह कि प्रस्तार—1 से 16 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

	गया है।			
(जो	लागू न हो, काट दिया जा	ये)		
	स्थान			
	दिनांक	समय		
	• • •			शपथकर्ता
	पब्लिक नोटेरी का नाम	और मोहर		
	स्थान	दिनांक <mark>व</mark> िनांक		
	10	0.		
	N.)		Contract of the Contract of th	

## सहआवेदक की शपथ

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीवर्ष आयुवर्ष	आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा
पता वर्तमान निवास	
मकान नम्बरनगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक थाना/पटवारी पट्टीतहसील/उपतहसीलतहसील/तहसील/	जिला
पता स्थाई निवास	
मकान नम्बरराम नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोकनगर/मोहल्ला/ग्राम/तोकनगर/मोहल्ला/ग्राम/तोक थाना/पटवारी पट्टीतहसील/उपतहसीलतहसील/उपतहसील शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु संख्य वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को हि	जिला या–1 से 16 तक के विषय
सहआवेदक के हस्ताक्षरस्थानरथान	
देनांकसमयसमय	शपथकर्ता
मब्लिक नोटरी का नाम और मोहर	
धानदिनांकदिनांक	
pu last	

# मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम
विसीय वर्ष २०२२ - २४ (दिनांक ०४ ०४	2000 7 04 00 0004) 77
<u>वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिनांक 01.04.</u>	
देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा—5घ) के नवीनीकरण हेतु आवे	
(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते है)	नियमावली—2023 में निर्घारित शर्तो के अनुसार
(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:	
<ol> <li>आवेदक का नाम</li> <li>पिता/पित का नाम</li> <li>आयु</li> <li>जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष//</li> <li>लिंगःपुरूष/महिला</li> <li>स्थाई पता</li> </ol>	आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ
मकान नम्बर	

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा खयं भरे जायेगें:—  1. सह आवेदक का नाम	सह आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ
मकान नम्बर नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक थाना/पटवारी पट्टी तहसील/उप तहसील जिलाउत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर) मोबाईल नम्बर	
7. पैन नम्बर	24) रूपये (अंको में) ली–2023 के अनुसार रू0
10. जमा नवीनीकरण शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/जमा करने का विवरण—( अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरब राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम व जायेंगे। (दिनांक 22.03.2023 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं 11. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।) आवेदक की घोषणा  मैं आवेदक	न को—ऑपरेटिव बैंकों अथवा हे बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये हें किये जायेंगे) :- घोषणा करता/करती हूँ सही है। यदि उपरोक्त विवरण
क उपराक्त बिन्दु १ स १० न रिया ज्या विवरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर	न व नवीनीकरण धनराशि जब्त

करने में मुझे कोई आपित नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली—2023 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपित्त नहीं होगी।

स्थान	
दिनांक	

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बडे अक्षरों में

नोट–

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।

2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

fr



वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिनांक 04.04.2023 से 31.03.2024) तक की अवधि के लिए मदिरा (देशी शराब व बीयर—5ग) / (विदेशी मदिरा—5घ) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप

में पुत्र/पुत्री/पत्नी	
वर्ष	
पता वर्तमान निवास	आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा
मकान नम्बरनगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक	
थाना / पटवारी पट्टी	1
तहसील / उपतहसीलजिला	
पता स्थाई निवास	
मकान नम्बरनगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक थाना/पटवारी पट्टीतहसील/उपतहसीलतहसील/उपतहसील रापथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :–	
<ol> <li>यह कि शपथकर्ता ने सी०एल०-5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एप बीयर) की फुटकर बिकी की दुकान</li></ol>	विकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड रह से समझ लिया है और यदि रह से समझ लिया है और यदि रहापन की शर्तो और लाईसेन्स गलन करेगा / करेगी। निवासी है। आवेदक तहसील बकाया है, न ही उनका नाम ( (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं बकारी लाईसेन्स धारण करने से
6. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के स <b>दस्यों का नैतिक चरित्र</b> आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड <mark>में उपान्तरित एवं अनु</mark> प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन् जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।	कूलित) अथवा स्वापक एवं मनः न्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर
7. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी / विदेशी मिदरा दुकान नवीनी द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली—2023 में दिये गये समकर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का नवीनीकरण निरस्त किये ज	यान्तर्गत वाछित प्रमाण पत्र जमा भीतर जमा नहीं कर पाया तो ाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
शपथकर्ता के जाजिन पर पुनान के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत कि निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर०	य जान वाल प्रपंत्र हासयत, स्थाई

9. यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं रिथिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है। 10. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विकेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्टभूमि हो अथवा जो संकामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा। 11. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा। 12. यह कि शपथकर्ता द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अविध के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा। 13. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में मदिरा की बिकी आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 में दी गयी व्यवस्था तथा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार की जायेगी। 14. आवेदक का वित्तीय वर्ष 2021–22 व 2022–23 का कोई भी राजस्व बकाया नहीं है। समस्त राजस्व जमा कर दिया गया है। 15. आवेदक को जनपद ....... में ...... देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान (वर्तमान आवेदित दुकान) के साथ अन्य जनपद...... में देशी / विदेशी मदिरा दुकान ...... आवंटित थी, जिसका गतवर्षी का सम्पूर्ण राजस्व जमा कराया जा चुका है। यह कि प्रस्तार—1 से 15 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है। (जो लागू न हो, काट दिया जाये) दिनांक.....समय.....समय..... शपथकर्ता पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....दिनांक.....

## (प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी	पुत्र / पत्नी / ं	पुत्री	
देशी (सी०एल०–5ग) / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफट	vएलo—5घ)		
हेतु नवीनीकरण के लिए उत्तराखण्ड आबन् में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया।	कारी नीति विष	यक नियमा	ाली 2023 -
दिनांक			
	कार्यालय व	गे सील	7
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा			_
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय			
<b>N</b>			